न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

प्रार्थना पत्र संख्या 2/2018 निर्णय दिनांक :– 10-7-19

उनवान

1. झूमा देवी पत्नि श्री प्रहलाद मीना जाति मीना, निवासी– ग्राम श्रीसंपतपुरा, तहसील कोटखावदाय जिला जयपुर राज.।

वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र कल्याण
2. कन्हैया लाल पुत्र कल्याण
3. हरकेश पुत्र कल्याण
4. तीजा पुत्री कल्याण
5. रामकन्या पुत्री कल्याण
6. संतरा पुत्री कल्याण
7. रामप्यारी बेवा कल्याण

   समस्त जांति मीना, निवासी श्री संपतपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर राज.।
8. सरकार जरिये तहसीलदार साहब कोटखावदा, जिला जयपुर
9. उपपंजीयक शाखा कोटखावदा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:54:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अधीन धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पंत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त शीर्षकीय वाद श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थीया ने विधिवत प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें प्रार्थीया को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। अप्रार्थी सं. 01 से 03, 06 व 07 के पिता व 05 के पति कल्याण पुत्र पांचू मीना निवासी– संपतपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर के नाम खातेदारी आराजी खसरा नंबर 14 रकबा 0.91 है0, खसरा नंबर 163/372 रकवा 0.06 है0, खसरा नंबर 171 रकबा 053 है0, खसरा नंबर 269/403 रकबा 0.02 है0, खंसरा नंबर 270 रकबा 0. 03 है0, खसरों नंबर 271 रकबा 0.52 है0, खसरा नंबर 322 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 323 रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 330/417 रकबा 0. 02 है0, खसरा नंबर 333/425 रकबा 0.04 है0 कल किता 10 कुल रकबा 2.57 है0 भूमि वाके ग्रांम श्रीसंपतपुरा, तहसील कोंटखावदा, जिला जयपुर में स्थित है। कल्याण पुत्र पांचू मीना ने अपनी खातेदारी भूमि में से खसरा नंबर 270 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 271 रकबा 0.52 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.55 है0 भूमि वाके ग्राम श्रीसंपतपुरा, तहसील कोंटखावदा जिला जयपुर का बेचान दिनांक 29.04.2010 को कर दिया था किन्तु कल्याण के नाम से बैंक का ऋण होने के कारण प्रार्थीया के नाम नामान्तकरण नहीं खुल सका। यह क्रिं उक्त आराजी पर बैंक का ऋण होने की वजह से प्रार्थीया के नाम से नामान्तकरण नही खुला सकी। प्रार्थीया द्वारा बार बार अप्रार्थीगण के पिता/पति से

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:54:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

निवेदन किया कि आप उक्त भूमि पर जो बैंक का ऋण बकाया है उसको जमा करवा दो–ताकि मै अपने अपने नाम से आपके द्वारा बेची गई आराजी का नामान्तकरण खुलवा संकू। लेकिन अप्रार्थीगण के पिता प्रति ने बार बार प्रार्थीया को आश्वासन देते रहे कि मै शीघ्र ही उक्त आराजी का बैंक ऋण जमा करवा दूंगा तथा कहा कि मैने आपके नाम विक्रय पत्र का पंजीयन तो करवा ही दिया है नामान्तकरण भी खुलवा दूंगा। इस प्रकार प्राथीया ने अप्रार्थीगण के पिता/पति पर विश्वास कर लिया। जब अप्रार्थीगण के पिता/पति की मृत्यु दिनांक 12.12.2018 को गई जिनके विधिक वारिसान, उत्तराधिकारी अप्रार्थीगण ही है इनके अलावा अन्य कोई और विधिक वारिसान नहीं है तब प्रार्थीया ने कहा अप्रार्थगण से कहा कि आप मेरे नाम उक्त भूमि का नामान्तकरण खुला दो तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को धमकी दी कि अब हमारे पिता/पति की मृत्य हो गई है हम उक्त आराजी के विरासत का नामान्तकरण अपने नाम से खुलवा कर उक्त आराजीं को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर देगे और तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड पायेगी क्योंकि नामान्तकरण के पश्चात उक्त आराजी भूमि हमारे नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जायेगी। इसलिये प्रार्थीया के लिये आवश्यक हो गया कि वह विरासत के नामान्तकरण से पूर्व अंपने नाम उक्त बेचान की गई आराजी भूमि को नामान्तकरण खुलावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द. करावे। जिसकी प्रार्थीया कानूनन अधिकारी है। प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर अपना [illegible] निर्वहन करती आ रही है। उक्त आराजी के अलावा [illegible] करने का साधन नहीं है। दिनांक 31.12.2018 को अप्रार्थीगण [illegible] दीगर व्यक्तियों को लेकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:34:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

आये तथा सरेआम जमीन दिखा रहा था। तब प्रार्थीया ने विरोध किया तो कहा कि हम शीघ्र ही उक्त आराजी का विरासत नामान्तकरण अपने नाम खुलवा कर उक्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर देगे। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। प्रार्थीया के लिये आवश्यक हो गया कि वो विवादित आराजी में अप्रार्थीगण के पिता/पति द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.4.2010 को बेचान की गई आराजी भूमि का नामान्तकरण अपने नाम से खुलवाये तथा प्रार्थीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा साथ ही प्रार्थीया के हिस्से का विधिवत तकासमा किया जाकर भौतिक कब्जा संभलाया जावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। जिससे वो प्रार्थीया के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलदांजी एवं मजाहमंत पैदा न करे, ऐसा ना तो स्वंय करे, ना ही अन्य से करावे। यदि अप्रार्थगण को पघाबन्द नहीं किया गया तो वे अपने नापाक इरादो में कामयाब हो जायेगे जिससे प्रार्थीया को अपूर्तिनीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टयां केस सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः अस्थाई निशेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर आराजी खसरा नंबर 270 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 271 रकबा 0.52 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.55 है0 भूमि वाके ग्राम, श्रीसंपतपुरा, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर पर वो प्रार्थीया के कब्जे काश्त में किसी तरह की मंजाहमत पैदा नहीं [illegible] ही भूमि का बैचान करे ना ही मेड को तोडे, ना ही [illegible] कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे, ना ही जबरन कब्जा करें, न ही जब तक प्रार्थीया के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:54:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

नामान्तकरण खुलता है तब तक अपने विरासत का नामान्तकरण नही खुलवायें ना स्वंय करे, ना ही अन्य से करावें। तथा अप्रार्थी सं. 08 राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिती बनाये रखे, अप्रार्थी सं. 09 विवादि आराजी के किसी भी दस्तावेजों का पंजीयन नहीं करें।.

प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार पेश किया कि :–

प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में उपरोक्त शीर्षकीय वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना स्वीकार है। शेष तथ्य असत्य है, अस्वीकार है। प्रार्थीया के द्वारा सफलता की आशा करना कोरी कल्पना मात्र है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में कल्याण से अप्रार्थीगण के जो संबंध बताये गये है वह गलत बताये गये हैं। अप्रार्थी संख्या 7 के पिता कल्याण नही है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 7 के पति है। कल्याण अप्रार्थी संख्या 4 से 6 के पिता है। यह सही है कि इस मद मे वर्णित खातेदारी भूमि स्थित ग्राम श्रीसम्पतपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर की खातेदारी कल्याण के नाम है परन्तु यहा यह वर्णित किया जाना आवश्यक है कि उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति अप्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमे कल्याण के समान ही अप्रार्थी संख्या 1 से 6 मालिक एवं स्वामी है तथा कल्याण की मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 7 मालिक है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 असत्य है, अस्वीकार है। कल्याण पुत्र पांचू के द्वारा दिनांक 29.11.2010 को किसी व्यक्ति को बेंचान नही किया गया तथा ना ही इस मद मे वर्णित किया गया है. कि कल्याण ने किस व्यक्ति को जमीन का बेचान किया। यहा यह वर्णित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:54:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

जाना भी आवश्यक है कि वादग्रस्त सम्पति अप्रार्थीगण की पुश्तैनी सम्पति होने के कारण कल्याण को 0.55 है भूमि बेचने का कोई विधिक अधिकार भी प्राप्त नही था। कल्याण के द्वारा प्रार्थीया को कोई भूमि विक्रय नहीं की गई कल्याण के द्वारा अपने जीवन काल मे कभी यह नहीं बताया गया कि उसके द्वारा तथाकथित विक्रय पत्र किया गया हैं। कल्याण के द्वारा दिनांक 29.11.2010 को कोई विक्रय पत्र झूमा देवी के नाम नहीं करवाया गया, ना ही कल्याण के हस्ताक्षर अगूठा निशानी है, ना ही कोई राशि अदा की गई। इसके अलावा अगर प्रार्थीया के कथन को एक बार के लिये मान भी लिया जावे तो कल्याण के द्वारा उक्त भूमि पर लोन किस प्रकार लिया गया। विक्रयशुदा भूमि पर लोन लेने के बाबत प्रार्थीया के द्वारा कल्याण के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। उक्त समस्त तथ्य तथाकथित विक्रय पत्र को मिथ्या एवं कूटरचित साबित करते है। प्रार्थीया के मिथ्या दावे के कारण अप्रार्थीगण का विरासत का नामान्तकरण नही खुल पा रहा है। जिस कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 असत्य है, अस्वीकार है। वर्ष 2010 में वादग्रस्त सम्पत्ति पर कोई लोन नही. था तथा वर्ष 2010 से 2019 तक वादग्रस्त सम्पति कई वर्षो तक लोन मुक्त रही है एवं विक्रय पत्र तथा नामान्तकरण हुये हैं, परन्तु प्रार्थीया के द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही इस कारण नही की गई कि उक्त तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 29.11.2010 मिथ्या एवं कूटरचित विक्रय पत्र था। इस कारण प्रार्थीया के द्वारा उक्त वर्णित कूटरचित विक्रय पत्र के आधार पर कल्याण के [illegible] कोई कार्यवाही नही की गई क्योकि प्रार्थीया को इस बात का डर था कि अगर कल्याण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:34:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

जीवन काल में उक्त फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर कोई कार्यवाही की जायेगी तो प्रार्थीया को जेल जाना पड सकता है। इसके बाद दिनांक 12.12.2018 को कल्याण की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त विक्रय पत्र को सामने लाया गया है। जो किः विक्रय पत्र को मिथ्या एवं कूटरचित साबित करता है। उक्त विक्रय पत्र पर कल्याग के हस्ताक्षर नही है। ना ही कल्यांण को कोई राशि अदा की गई है। इस कारण प्रार्थीया ना तो नामान्तकरण खुलवाने की अधिकारी है तथा ना ही स्थगन प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 असत्य है, अस्वीकार है। इस मद मे प्रा्थीया के द्वारा दिनांक 12.12.2018 को नामान्तकरण खुलवाने के लिये अप्रार्थगण से कहने तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को धमकी देने का वर्णन किया है। जबकि 12.12.2018 को अप्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के दिन इस प्रकार की घटना घटित होना सामान्य रूप से संभव नही है। इस कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र असत्य तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 असत्य है, अस्वीकार है। वादग्रस्त सम्पति पर प्रार्थीया का ना तो कभी कब्जा था ना ही कभी रहा है। बल्कि वादग्रस्त सम्पति पर अपने पिता के जीवन काल से अप्रार्थीगण का कब्जा रहा है तथा अप्रार्थीगण खेतीबाडी करते चले आ रहे है। दिनांक 31.12.2018 को प्रार्थना पत्र मे वर्णित कोई घटना घटित नही हुई, क्योकि अप्रार्थीगण के पिता की मृत्यु को हुये 20 दिन भी पूरे नही हुये थे। अप्रार्थीगण गहरे दुख में थे। प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र को रग देने के लिये उक्त घटना का वर्णन किया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 असत्य है, अस्वीकार है। विक्रय पत्र दिनांक 29.1_.2010 मिथ्या एवं अवैध विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:54:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

पत्र है। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण के द्वारा विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। प्रार्थीया ना तो स्वयं को खातेदार घोषित करवाने की अधिकारी है, ना ही नामान्तकरण खुलवाने की अधिकारी है। प्रार्थीया मिथ्या एवं कूटरचित विक्रय पत्र के आधार पर केवल मात्र स्थगन प्राप्त कर मिन अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करके रूपये ऐठना चाहती है। जबकि प्रार्थीया उक्त कार्यवाही 135(2) रा0भू0 राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार जी के समक्ष कर सकती थी परन्तु उसने ऐसा नही किया। जो कि प्रार्थीया की चालाकी को साबित करता है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 असत्य है, अस्वीकार है। वादग्रस्त सम्पति अप्रार्थीगण की पुश्तैनी सम्पति है। जिसको फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया हडपना चाहती है। स्थगन आदेश के कारण अप्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति हो रही है क्योकि उनका विरासत का नामान्तकरण नही खुल पा रहा है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 असत्य है, अस्वीकार है। प्रार्थीया ने इस मद में यह नहीं बताया कि उसका प्रथम दृष्टया केस किस प्रकार से है तथा सुविधा का संतुलन उसके पक्ष मे किस प्रकार से है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार कल्याण के वारिस एवं उत्तराधिकारी है। अप्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है। अप्रार्थीगण का कब्जा है। एक रिकार्डेड खातेदार के वारिसान को उनकी पैतृक सम्पति के उपयोग –उपभोग करने, नामान्तकरण खुलवाने एवं अन्य लाभ प्राप्त करने से रोके जाने का स्थगन दीगर व्यक्ति को प्रदान नही किया जा सकता है। उक्त समस्त तथ्यो के [illegible] पर सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष मे है। [illegible] मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का अस्थाई [illegible] निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:54:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाने की कृपा करें। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि मुताबिक विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी के हक में नामान्तकरण दर्ज किया जावे। कल्याण के नाम से बैंक का ऋण होने के कारण प्रार्थीया के नामान्तकरण नही खुल सका। अप्रार्थीगण को पिता/पति की मृत्यू 12.12.2018 को हो गयी जिनके विधिक वारीसान उत्तराधिकारी अप्रार्थीगण ही है तब प्रार्थीया ने कहा अप्रार्थीगण को कहा कि आप मेरे नाम नामान्तकरण खुलवा दो तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को धमकी दी कि हमारे पिता की मृत्यु हो गयी हे हम उक्त आराजी के विरासत का नामान्तकरण खुलवाकर दीगर व्यक्तियों को बेचान करेंगे। इसलिये विरासत का नामान्तकरण से पूर्व अपने नाम उक्त बेचान की गयी आराजी का नामान्तकरण हमारे नाम खुलवाने के आदेश करें एवं अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करे।

जवाब बहस में अप्रार्थीगण ने वकील ने प्रार्थी वकील की बहस का खंडन करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त संपत्ति अप्रार्थीगण की पैत्रिक सम्पत्ति है जिसमें कल्याण के समान ही अप्रार्थी संख्या 1 से 6 मालिक व स्वामी है, कल्याण की मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 7 मालिक है। कल्याण पुत्र पांचू के द्वारा 29.11.2000 को किसी भी व्यक्ति को बेचान नही किया गया ना ही प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कल्याण ने किस व्यक्ति को जमीन का बेचान किया है, अप्रार्थीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति होने के कारण कल्याण को 0.55 है0 भूमि बेचान का विधिक अधिकार भी प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:54:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

नही है। कल्याण द्वारा प्रार्थीया को कोई भूमि विक्रय नही की गयी, कल्याण के द्वारा कभी ये नही बताया गया कि उसके द्वारा कथित विक्रय पत्र किया गया है। कल्याण के द्वारा 29.11.2010 को कोई विक्रय पत्र झुमादेवी के नाम नही करवाया ना ही कल्याण के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी है ना ही कोई राशि अदा की गयी है, अगर कल्याण के द्वारा उक्त विक्रय पत्र किया गया होता तो कल्याण के द्वारा लोन कैसे लिया गया। विक्रय शुदा भूमि पर लोन लेने बाबत प्रार्थीया के द्वारा कल्याण के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी। उक्त समस्त तथ्य तथा कथित विक्रय पत्र को मिथ्या व कूटरचित साबित करते है। प्रार्थी के मिथ्या कारणों से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र पक्षकारान वकील की बहस पर गोर किया व प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेज का परीक्षण किया गया तो वादीया ने कथन कियाहै कि कल्याण के जीवनकाल में विक्रय पत्र दिनांक 29.11.2010 का होने के बाद कल्याण के नाम बैंक का ऋण होने के कारण प्रार्थीया के नाम नामान्तकरण नहीं खुल सका जबकि वादीया का उक्त कथन भी प्रमाणित नही होता है क्योंकि जमाबंदी का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आये है कि विक्रय पत्र के समय भी वादग्रस्त सम्पति पर ऋण नही था तथा उसके पश्चात भी काफी समय तक ऋण लिया हुआ नही था क्योंकि इस बीच कई विक्रय पत्र एवं नामान्तकरण हुए है। अगर कल्याण के द्वारा विक्रयशुदा भूमि पर विक्रय करने के बाद भी लोन लिया गया था तो प्रार्थी[illegible] कल्याण के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यो नही की [illegible] को संदिग्ध बनाता है। कल्याण की मृत्यु दिनांक 12.12.2018 [illegible] हूई थी यह तथ्य स्वीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:54:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

तथ्य है। प्रार्थीया के द्वारा विक्रय पत्र कल्याण की मृत्यु के बाद सामने लाया गया जो विक्रय पत्र को संदिग्ध बनाता है। प्रार्थीया के द्वारा कल्याण को उसके जीवनकाल में लोन चुकाकर नामान्तकरण खुलवाने हेतू कोई नोटिस दिया हो उक्त तथ्य भी पत्रावली पर मौजूद नही है। अप्रार्थीगण ने जवाब में कथन किया है कि वादग्रस्त सम्पति पुश्तैनी सम्पति है इस कारण कल्याण को दो विशिष्ट खसरा नं. में से 0.55 हैक्टेयर भूमि को बेचने का विधिक अधिकार नही है। कल्याण ने दिनांक 29.11.2010 को कोई बेचान नहीं किया है ना ही अपने जीवनकाल में बताया। विक्रय पत्र दिनांक 29.11.2010 मिथ्या एवं कूटरचित विक्रय पत्र है। जिसके आधार पर वादीया ने कल्याण के जीवनकाल में कोई कार्यवाही नही की क्योंकि वादीया को इस बात का डर था कि कल्याण के जीवनकाल में अगर उक्त फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर कोई कार्यवाही की जायेगी तो प्रार्थीया को जेल जाना पड सकता है। विक्रय पत्र वर्ष 2010 का है तथा वादीया का प्रार्थना पत्र वर्ष 2019 का है। वादीया ने नौ वर्ष तक उक्त विक्रय पत्र को क्यों छिपाये रखा तथा कल्याण के जीवनकाल में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही क्यों नही की गई इसको साबित करने में प्रार्थीया असफल रही है। विक्रय पत्र की वैधता के बाबत दोनो पक्षो के मध्य विवाद है तथा अप्रार्थगण कल्याण के प्राकृतिक वारिसान है एवं वादग्रस्त सम्पति पुश्तैनी सम्पति है इस बाबत विवाद नहीं है। अप्रार्थीगण को उनके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक की विक्रय पत्र की वैधता साबित नहीं हो जाती है अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार कल्याण के विधिक वारिस है जिनकी विरासत का नामान्तकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:54:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

रोका जाना अन्यायपूर्ण होगा। वादीया वादग्रस्त सम्पति पर अपना कब्जा साबित करने में असफल रही है। इस प्रकार मामले में वादीया ना तो अपना कब्जा साबित कर पायी है तथा ना ही विक्रय पत्र दिनांक 29.11.2010 को नौ वर्षो तक छिपाये रखने का कारण साबित कर पायी है ना ही अपना प्रथम दृष्टया मामला साबित कर पायी है। विक्रय पत्र एवं कब्जे के बाबत पक्षकारों के मध्य विवादित प्रश्न है उनके बारे मे कोई भी निर्णय साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के बाद ही तय किये जा सकते है। इस स्तर पर अप्रार्थीगण कल्याण के विधिक वारिसान होने के कारण उनकी विरासत का नामान्तकरण नही रोका जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थीया अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रही है जबकि अप्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में सफल हुए है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

सुविधा का संतुलन – अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार कल्याण के वारिस है। रिकॉर्ड से अप्रार्थगण का कब्जा साबित है। प्रार्थीया का दस्तावेज नौ वर्ष पुराना है। अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित है। उपरोक्त वर्णित तथ्यो के अनुसार अगर अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के मुकाबले अधिक असुविधा होगी। क्योंकि अगर अप्रार्थीगण के नामान्तकरण को रोक दिया गया तो सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थीगण का नामान्तकरण रूक जायेगा तथा अ[illegible] अपनी भूमि का उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक रूप से नही कर पा[illegible] वकील अप्रार्थीगण के द्वारा जाहिर किया गया है कि वे वादग्रस्त स[illegible]ति को ना तो विक्रय कर रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:54:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

है ना ही विक्रय करेंगे। इस स्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन जारी किये जाने का कोई औचित्य नही है।

अपूर्तनीय क्षति – अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार कल्याण के वारिस है। रिकॉर्ड से अप्राथीगण का कब्जा साबित है। प्रार्थीया का दस्तावेज नौ वर्ष पुराना है। प्रार्थीया का वादग्रस्त सम्पति का विक्रय पत्र 3,00,000/– रूपये अक्षरे तीन लाख रूपये की राशि का है जबकि वादग्रस्त सम्पति अप्रार्थीगण की पुश्तैनी सम्पति है। इस प्रकार अगर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है अप्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी क्योंकि वे अपनी पुश्तैनी सम्पति के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेंगे तथा पूर्वजों से प्राप्त विरासत की भूमि का नामान्तकरण उनके नाम नहीं हो पायेगा। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में भली–भांति साबित होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 03.01.2019 का प्रभावहीन हो गया है। पत्रावली बाद तकमील नं. से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)
18-1-21

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:54:54 IST
Reason: SelfAttested